2017/00035

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 37/2017

प्रार्थी
श्री गणेश चेरीटेबल ट्रस्ट
जसोल जरिये रिखबचन्द पुत्र
मुल्तानमल बागरेचा ट्रस्टी
निवासी जसोल तहसील,
पचपदरा

बनाम्

अप्रार्थी
1.श्री रघुवीर महाराज निवासी
जसोल रामद्वारा हाल मुरली
मनोहर धोरा भीनासर,
कोतवाली बीकानेर
2.विकास अधिकारी पंचायत
समिति,बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2017/21.08.2017 जो अपील संख्या 01/2017 में विकास अधिकारी पंचायत समिति,बालोतरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितः– 1.श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3.अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.02.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी–रघुवीर महाराज अध्यक्ष सार्वजनिक रामद्वारा जसोल ने एक आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2017 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम जसोल में रामद्वारा की सार्वजनिक पट्टा सुद भूमि पर ईश्वरचन्द पुत्र नरसीगदास ओसवाल निवासी जसोल व महावीचन्द पुत्र ईश्वरचन्द ओसवाल निवासी जसोल को सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001 को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है,जिसे निरस्त किया जाए। इस पर पंचायत समिति बालोतरा की प्रशासन एंव स्थापना समिति ने अपील संख्या 01/2017 दर्ज कर दिनांक 18.08.2017 की बैठक में बाद जॉच एंव सुनवाई ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001 को जारी स्वामित्व का प्रमाण पत्र निरस्त करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया। इस निर्णय की पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा ने आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा ग्राम पंचायत जसोल प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया। इन आदेशों से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया एंव विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा से रिकॉर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम जसोल की आबादी भूमि में एक आवासीय जायदाद का पट्टा संख्या 30 दिनांक 01.11.1960 को गांव के मुख्यान के नाम से रामद्वारे के लिये जारी किया जाना बताया है रामद्वारा के पास आय का कोई जरिया नहीं होने एंव कुछ निर्माण करवाना आवश्यक होने से ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास निवासी जसोल ने निर्माण हेतु 7000/–की राशि दी जिनसे दुकानों का निर्माण करवाया गया व इसके बदले मुख्यान द्वारा कुल 1020.03 वर्ग फीट भूमि उसी समय ईश्वरचन्द को दे दी गई जिसके कुछ भाग पर निर्माण करवाया व निर्मित भाग में बिजली,पानी की सुविधा प्राप्त करने हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने से उनके द्वारा वर्ष 1981 में एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत जसोल द्वारा ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास के पक्ष में पानी एंव विद्युत कनेक्शन हेतु प्रमाण–पत्र दिनांक 18.12.1981 को जारी किया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत जसोल द्वारा ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास एच.यू.एफ. के कर्ता महावीरचन्द पुत्र ईश्वरचन्द के पक्ष में स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को जारी किया गया। इस जायदाद का हस्तांतरण ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास द्वारा दिनांक 14.05.2001 को श्री गणेश चेरिटेबल ट्रस्ट को जरिये रजिस्टर्ड विलेख से किया है जो बेचाननामा कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता की हैसियत से महावीरचन्द पुत्र ईश्वरचन्द द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसके फलसवरूप प्रार्थी इस जायदाद पर काबिज मालिक बन गया। इस पर एक बड़ा हाल एंव दो दुकानो का निर्माण प्रार्थी द्वारा करवाया गया है। इसके आधार पर ईश्वरचन्द पुत्र नरसीगदास ओसवाल निवासी जसोल व महावीचन्द पुत्र ईश्वरचन्द ओसवाल निवासी जसोल के पक्ष में स्वामित्व का प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 जारी किया गया। इसमें अप्रार्थी संख्या 02 रामद्वारा जसोल की किसी प्रकार की सम्पति एंव स्वामित्व हासिल नहीं है इसके बावजूद प्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना के जरिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करवाया गया है, जो गलत एंव विधि विरूद्ध है। उन्होंनें तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र 2001 में जारी किया गया जिसके विरूद्ध अपील 2017 में एक लम्बे समय बाद पेश की गई, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 01 को अपील पेश करने कोई अधिकार ही नहीं था, क्योकि उनका विवादग्रस्त जायदाद से कोई सम्बन्ध ही नहीं है सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 02/2006 में स्वंय रेस्पोडेंट ने विवादग्रस्त जायदाद रामद्वारे की नहीं मानी है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्वामित्व के प्रमाण पत्र के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंचायत समिति की स्थापना समिति के समक्ष विधिवत कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र पर, स्थापना समिति द्वारा कार्यवाही की गई जो अपील पेश करने की एक निर्धारित प्रकिया के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रतिकूल है। पंचायत समिति द्वारा अपील में संबंधित एंव पीड़ित पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया और न उन्हे सुनवाई का नोटिस दिया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के अधीन प्रस्तुत अपील में कोई भी आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई के पश्चात् ही पारित किया जा सकता है। यह एक आज्ञापक प्रावधान है परन्तु इस प्रकरण में विधि के आज्ञापक प्रावधान की पूर्णतया अनदेखी करके आदेश पारित किया गया है। धारा 56 के तहत गठित कमेटी द्वारा ही अपील की सुनवाई की जा सकती है। विकास अधिकारी को इस मामले में अपील की सुनवाई अथवा निर्णय पारित करने के अधिकार नहीं था क्योकि विधिवत रूप से कमेटी का गठन नहीं हुआ। इसलिये प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर पंचायत समिति की प्रशासन एंव स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 व 21.08.2017 को निरस्त फरमाया जाए।

इसके जवाब मे अप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता का यह कथन गलत है कि उक्त सम्पति का बेचान सार्वजनिक ट्रस्ट के निर्माण हेतु किया गया था प्रार्थी का यह कथन मनमर्जी से बिना किसी युक्ति संगत आधार के किया गया है प्रार्थी निगरानीकर्ता को ट्रस्ट की ओर से कभी भी सम्पति को बेचान नहीं किया गया और न बेचाननामा में उक्त सम्पति सार्वजनिक हितार्थ सार्वजनिक निर्माण कार्य ट्रस्ट के उपयोग–उपभोग हेतु रकम की आवश्यकता बताकर किया गया हो को कोई उल्लेख नहीं है सार्वजनिक ट्रस्ट की सम्पति का बेचान किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी सम्पति को खरीद की जा सकती है।जिस सम्पति के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व व प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह ग्राम पंचायत,जसोल के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं होने एंव सम्पति कभी भी ग्राम पंचायत जसोल की मालिकाना की सम्पति नहीं रही है। यह सम्पति सार्वजनिक रामद्वारा ट्रस्ट वैष्णव सम्प्रदाय जसोल की सम्पति रही है और रामद्वार ट्रस्ट के नाम से ग्राम पंचायत जसोल से पट्टा संख्या 30 दिनांक 01.11.1960 को जारी किया जा चुका है जारी पट्टा आज भी प्रभावी है। इस सम्पति के सार्वजनिक ट्रस्ट के नाम पट्टा रहते हुए ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं था। उन्होने तर्क दिया कि अप्रार्थी की सार्वजनिक रामद्वारा की सम्पति पर बिना किसी कानूनी अधिकार के प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत जसोल द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा के समक्ष अपील के रूप में आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति की स्थापना समिति ने बाद जॉच एंव सुनवाई के सर्व सम्मति से स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 18.08.2017 निरस्त करने का निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 21.08.2017 द्वारा निरस्त किया गया है,जो सही रूप से खारिज किया गया है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि ग्रामीण विकास विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ4(16) दिशा–निर्देश/विधि/प.स./2016/325 दिनांक 19.04.2017 द्वारा ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिये है। इस परिपत्र अनुसार भी विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत जसोल की ओर से जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी आधारहीन होने से खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली एंव अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी पंचायत समिति की प्रशासन एंव स्थापना समिति बालोतरा द्वारा अपील संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 एंव विकास अधिकारी बालोतरा द्वारा इस निर्णय की पालना में जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश की है। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से श्री रघुवीर महाराज अध्यक्ष सार्वजनिक रामद्वारा जसोल द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा को ग्राम पंचायत जसोल के ग्राम जसोल में सार्वजनिक रामद्वारा की पट्टा सुद भूमि में श्री ईश्वरचन्द पुत्र नरसिंगदास ओसवाल–जसोल व महावीरचन्द पत्र ईश्वरचन्द ओसवाल जसोल को सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली कायम कर ग्राम पंचायत जसोल द्वारा श्री महावीरचन्द ईश्वरचन्द एंव ईश्वरचन्द नरसिंगदास के नाम से जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र की जॉच पंचायत प्रसार अधिकारी,बालोतरा से करवाने का दिनांक 11.05.2017 को निर्णय लिया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 में वर्ष 1958–59 में सार्वजनिक रामद्वारा के नाम ग्राम पंचायत जसोल ने पट्टा संख्या 30 जारी करना एंव रामद्वारा सार्वजनिक एंव धार्मिक आस्था का केन्द्र बताया। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत जसोल के स्व–विवेक से जारी होना और इस बाबत ग्राम पंचायत जसोल की साधरण बैठक अथवा ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होना तथा ग्राम पंचायत जसोल की कार्यालय में उपलब्ध स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति में ओवर हैण्ड राईटिंग एंव कांछ–छांट होना बताया । स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा द्वारा दिनांक 16.06.2017 को पंचायत समिति की प्रशासन एंव स्थापना समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना दिनांक 06.06.2017 को जारी की गयी और प्रार्थी को उक्त भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बैठक में उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किया गया। मगर प्रार्थी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 18.08.2017 को पंचायत समिति की प्रशासन एंव स्थापना समिति की पुनः बैठक आयोजित करने की सूचना जारी कर प्रार्थी को इसकी सूचना की प्रति भेजी गई मगर प्रार्थी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार पंचायत समिति की स्थापना समिति द्वारा ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 140 से 163 तक में आबादी भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार प्रकिया का पालन नहीं करने एंव राजस्थान पंचायती राज

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम,1994 एंव राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 में ग्राम पंचायत को स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं होने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी स्वामित्व का प्रमाण पत्र संख्या 02 दिनांक 12.05.2001 को सर्व सम्मति से निरस्त करने का निर्णय दिनांक 18.08.2017 पारित किया है,वह विधि सम्मत है। प्रार्थी का यह कथन कि स्थायी समिति द्वारा निर्णय गलत एंव नियम विरूद्ध तरीके से पारित किया हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 56 के अनुसार गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा सुनवाई की जायेगी। स्थायी समिति को किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करने से बैठक का प्रारम्भ एंव उसकी वैधानिकता/गणपूर्ति अर्थात् कोरम पर निर्भर करती है। गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यो की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से समर्थित होना चाहिये। पंचायत समिति की प्रशासन एंव स्थापना समिति की बैठक दिनांक 18.08.2017 मे 05 सदस्यों की उपस्थिति दर्शायी गयी है। निर्णय पारित करने से पूर्व स्थापना समिति का कोरम पूरा होने के उपरान्त पारित किया गया है। ग्राम पंचायत जसोल द्वारा दिनांक 12.05.2001. को जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 02 को प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में सर्व सम्मति से निरस्त करने का निर्णय दिनांक 18.08.2017 एंव जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 पारित किया गया है इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर